

- सरकार द्वारा दी गई कोविड-19 की गाइड लाइन की पूर्ण पालना करें।
- परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में अपने साथ प्रवेश-पत्र, नीला/काला पारदर्शी बॉल पॉइन्ट पेन, कोई एक मान्य फोटोयुक्त मूल पहचान-पत्र मुख्यतः आधार कार्ड एवं इसके अनुपलब्ध होने पर अन्य राजकीय फोटोयुक्त पहचान-पत्र (यथा ड्राइविंग लाईसेंस, निर्वाचन पहचान-पत्र आदि) मय स्वप्रमाणित फोटो प्रति लाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री लाने की अनुमति नहीं होगी।
- परीक्षा केन्द्र पर मोबाईल, केलक्यूलेटर, ब्लूटूथ या अन्य कोई इलेक्ट्रानिक उपकरण, घड़ी आदि, किसी प्रकार का आभूषण, पर्स, हैण्डबैग, डायरी इत्यादि लाना निषेध है। परीक्षार्थी इस प्रकार की कोई सामग्री साथ लाता है तो उसे अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर परीक्षा केन्द्र के बाहर रखना होगा। परीक्षा केन्द्र पर इन वस्तुओं को रखने व सुरक्षा की कोई व्यवस्था एवं जिम्मेदारी नहीं होगी।
- परीक्षार्थी का परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारम्भ होने के दो घण्टा पूर्व पहुँचना अपेक्षित है, ताकि पुलिस द्वारा फ्रिस्किंग आदि समय से की जा सके।
- परीक्षार्थी को परीक्षा समय से एक घंटा पूर्व केंद्र में प्रवेश करना अनिवार्य है। परीक्षार्थी को प्रातः पारी में प्रातः 9:00 बजे तथा अपरान्ह पारी में अपरान्ह 2:00 बजे के पश्चात् परीक्षा केन्द्र में प्रवेशाज्ञा नहीं दी जायेगी।
- परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा समाप्ति से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति (OFFICE COPY) पर वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर, स्वप्रमाणित पहचान पत्र की प्रति नत्थी कर वीक्षक को आवश्यक रूप से जमा करायें।
- परीक्षार्थी को प्रश्न-पत्र ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र वीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकले। परीक्षार्थी ओ.एम.आर. की मूल प्रति वीक्षक को जमा कराकर केवल ओ.एम.आर.की अभ्यर्थी प्रति ही ले जा सकेगे।
- परीक्षार्थी को आधी बाहों की शर्ट/टी-शर्ट, कुर्ता, कुर्ती आदि एवं पैरो में पतले सोल की चप्पल / सैंडल पहनना ही अनुमत होगा। मौजे (SOCKS) पहनना अनुमत नहीं होगा।
- परीक्षार्थी को अनुचित साधन का उपयोग करते पाये जाने पर विधि के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
- नियमानुसार आवश्यकता वाले विशेष योग्यजन को इस परीक्षा में 50 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा। श्रुतलेखक हेतु परीक्षार्थी को दो दिवस पूर्व केन्द्राधीक्षक से सम्पर्क करना होगा। विस्तृत निर्देश हेतु www.rajeduboard.rajasthan.gov.in/REETRAJ2022 देखे
-